आदेश की क्रम सं0 और तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

अभिलेख उपस्थापित।

3 (1.) कैलाश राम पिता स्व0 रूपलाल राम, (2.) गणेश राम पिता स्व0 पुनित राम, (3.) किशोरी पासवान पिता स्व0 लालो राम, निवास स्थान ग्राम-गदोखर, पोस्ट-कदमा, थाना-कटकमसांडी, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-कटकमसांडी, मौजा-गदोखर, थाना नं0-81, खाता संख्या-82, प्लॉट संख्या-1992, रकबा 0.04 एकड़ (04 डिसमिल) (चार डिसमिल) भूमि सावित्री कुमारी पति अजय रजक पिता कारू रजक, निवास स्थान ग्राम-मसरातु, पोस्ट-रेवाली, थाना-कटकमदाग, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित केता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र की छायाप्रति तथा भूमि से संबंधित कागजात संलग्न करते हुए ऑनलाईन आवेदन Acknowledgemnt No.-RCMSON22031086 समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-756/2022 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 3987/रा0 दिनांक 03.11.2022 द्वारा अंचल अधिकारी, कटकमसांडी को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

अंचल अधिकारी, कटकमसांडी के पत्रांक 32 दिनांक 24.01.2023 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन, ट्रेस नक्शा एवं चेक स्लीप उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, कटकमसांडी द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि -

विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के अन्तर्गत है एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। प्रश्नगत् भूमि खतियान से हासिल है। भूमि रैयती कायमी है। खतियानी रैयत लालधारी दुसाध, हजारी दुसाध वो तेजन दुसाध पेशरान गिरधारी दुसाध हैं। खतियान के अनुसार धारित कुल रकबा 10.45 एकड़ भूमि है। पंजी-।। अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित कुल रकबा 6.44 एकड़ भूमि है। लगान रसीद वर्ष 2021-22 तक निर्गत् है। खतियान दादा के नाम से है एवं जमाबंदी पंजी-।। के पृष्ठ संख्या-275, भाग संख्या-1 में विक्रेताकण के पिता के नाम से कायम है। आवेदकगण के हिस्से में कुल रकवा 2.50 एकड़ भूमि है। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् रकवा 2.46 एकड़ भूमि बचेगी। आवेदकगण को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है। साथ ही BLR Act Section 4h से मुक्त है। प्रश्नगत् भूमि आवेदक के दखल कब्जा में है।

अनुसूची-14 फारम सं0-563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदे... कार्य... टिप्पणी
1	2	

प्रश्नगत् भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है।

अंचल अधिकारी, कटकमसांडी द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत् प्रश्नगत् भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, कटकमसांडी के
अनुशंसा के आलोक में (1.) कैलाश राम पिता स्व0 रूपलाल
राम, (2.) गणेश राम पिता स्व0 पुनित राम, (3.) किशोरी
पासवान पिता स्व0 लालो राम, निवास स्थान ग्राम-गदोखर,
पोस्ट-कदमा, थाना-कटकमसांडी, जिला-हजारीबाग को छोटानागपुर
कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत
अंचल-कटकमसांडी, मौजा-गदोखर, थाना नं0-81, खाता
संख्या-82, प्लॉट संख्या-1992. रकवा 0.04 एकड़ (04 डिसमिल)
(चार डिसमिल) भूमि सावित्री कुमारी पति अजय रजक पिता कारु
रजक, निवास स्थान ग्राम-मसरातु, पोस्ट-रेवाली, थाना-कटकमदाग,
जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती
है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

(हस्ताक्षर) 2/6/23
अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।

(हस्ताक्षर) 2/6/23
अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।

Digitally signed by RAKESH RAUSHAN
Date: 2023.02.06 11:26:16 +05:30
Location: 192.168.0.105